शाखा . ि.ि.

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297 / 16 मो.शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरुद्ध शासन एवं अन्य ।

-0-

विषयान्तर्गत प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297/16 मो.शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरूद्ध शासन एवं अन्य में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड खरगोन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। (आदेश की प्रति पृष्ठ कमांक 5) पर है)

प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश विधि विभाग से प्राप्त किया जाना है। मूल नस्ती शासन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्रतिरक्षण आदेश विधि विभाग से जारी कराने का कष्ट

करें।

संलग्न:- मूल नस्ती 1 सेऽ तक

प्रमुख सचिव महोदय लो.स्वा.या.वि.

> पूर्ड विधि विभाग

प्रमुख अभियता

3

Chait

श्री. आगतिमि³र्गिक्शी) चप चरित, पी.एच्यी

A STATE WA

34

		_		••••
		कार्यालय प्रमु	ख अभियन्ता फ्	उक्रमांक
XV=15		लोक स्वा. र		शास्त्राेर
$^{\circ}$	विषय:	प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. नासिर विरुद्ध शासना	. 297 / 18 मो.शेख र एवं अन्य । 0	नवाब पिता श्री शेख
-				
1				

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल

/विधि शाखा— /प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2016 // आ दे श //

भोपाल,दिनांक [0]3/16

मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त पत्र पृष्ठांकन कंमांक एफ-16 / 142 / 2002 / 34-1 दिनांक 23.5.2002 में निहित निर्देशानुसार सिविल संहिता 1908 (अधिनियम संख्यांक-3) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.या.वि. खंड खरगोन को प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297/16 मो. शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरूद्ध शासन एवं अन्य में मध्य प्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने ओर उसे सत्यापित करने के लिए कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अपनी बातों के साथ-साथ ऐसी रीति में,जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित

कार्य करेगा। प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तूरंत जांच करेगा,जिसकी (1) आवश्यकता हो ओर याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अधिवक्ता की सहायता पहुचाने की संभावना है. रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट रूप से की जावेगी। (2)

समस्त सुसंगत फाईल,दस्तावेज नियम,अधिसूचनाओं तथा आदेश एकत्रित करेगा।

वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, (3)और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए,जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहचने की संभावना है,रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) (5) (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-क-वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट। ख-प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है,जिनकी प्रस्तृत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

घ-मामलों के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां,जिसमें वाद पत्र की सुनवाई तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग (7) करना ओर वाद मामले में प्रकरण कमांक और प्रगति के नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित (8) किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता (9) की राय,अगली कार्यवाही किये जाने के लिए,इस विभाग को भेजेगा।

(2) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने (10) तथा राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो। जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है,यह अर्द्धशासकीय पत्र के (11) माध्यम से तत्काल जानकारी देगा एवं वर्तमान पद का भार सौप देने क्रे पश्चात भी जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है,तब तक वह प्रभारी अधिकारी बना रहेगा। प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव (12)सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज छुपा हुआ नहीं रह जाये। प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह,जैसे ही वाद का (13)निर्णय होता है,परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को भे देगा। प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह इस बात के लिए (14)उत्तरदायी होगा कि उन मामले में,जहां किसी वाद प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है,समय पर कार्यवाही की गई है अतएव वह आदेश की प्रति,जैसे ही पारित किया जाए,विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करेगा। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क. **\%** % 6/विधि शाखा— /प्र.अ. / लो.स्वा.या.वि. / 2016 प्रतिलिपि:— भोपाल, दिनांक 🐧 3/1-6

(1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन विधि,विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
(2) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
(3) अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर।
(4) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र इन्दौर।
(5) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल इन्दौर।

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड खरगोन एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह प्राप्त करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित प्रकरण की रिपोर्ट की एक प्रति विधि विभाग को सदैव ही भेजने हेतु अग्रेषित वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल

%

open in 500 coefficient

BY. REGID. A.D. POST

E High Court of Judicasure at Jahamor; Bench at Inter-

Common 5126/2016

WP/297/2016

100 to Registrar,

ourt of Judicature

7 0 C

Respondent No.

(NZ 2.16

 $\alpha \approx 2$

gh Priacipal Secretary, Gove Health Engineering Department Islama Vallabh Bhawan, Bhog C

- 3hopar (MADHYA PRA) -

2327 16 Sudare 28-111-2...

no Respondent No. Uin writ 2011 (10) No. WP/ 297/ 2016

to Respondent No. Uni writeful and denotation of a lating a certiorari/Quo

I am directed to inform you are the Mohat, Sur La Nawah has filed a selection 12.6 of the Constitution of the paper by the Court, and the transfer with Petition (Mandagas a shiptor and the Court Quo Warrani).

into that you are required as some source of particles of through a duly assent as a finite factor of 11-04 2046. If no accomplished a finite of the other of the potition will be a second of the proposition.



CALPITY REC

4

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

Writ Petition No. /2016

(Other than service matter)

PETITIONER

Mohd, Sheikh Nawab S/o Sheikh Nasir

VERSUS

RESPONDENTS S.

Soften And and others.

INDEX

S. N	O. Description of the cocuments	Page No.
1.	Writ Petition U a 226 or Constitution	01 07
2.	Brief Chronological list of events.	08 - 09
3.	Index of Annexures	10
<u>-</u>	Attadayla in support of Well polition	11 – 12
5.	P-1 - Copy of Registration	13-14
6.	Pag - Copy of NTT Friated 24.3.08	15-18
	<u>#</u> * Cerys	19-21
<	$P(4)$ Copy of estimates of rate with N,f,Γ_0	22-23
9.	P-3 - Copy of tender of peritioner of tube-well	ર્ધ-3ડ
) (i.	Pso - List of work executed by petitioner.	36
il	Pst - Copy of project by letter of petitioner	37
12.	P28 - Copy of removaer latter dt. 10.7.06.	38
		

Fort

X

S. N0	Description of the documents	Page No.
13.	P-9 - Copy of letter dated 25.7.06.	39-40
	P po 17 prilited 4 8 66	ΗΙ
>	P.14 grider dated 27.7.09	41-44
! 6	$\underline{P}(\underline{12} - \text{Copy } e^{i\theta} \text{ notice dated 3.10. 15.})$	45.48
۱٦.	$(\underline{P-13})$ (or) a Marpagned letter dt.16.2.15.	49
14.	Vakalatta aa	٥ ک
	Sub	mitted by
	7 Jul 2010 Advocate A SH LS	for petitioner H - S & MRMA

TC AM

IN THE HOMBLE RIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

/2016 Wrj: Petition No.

(Other than service matter)

PETITIONER.

Mighal Sharkh Namab Sto Sheikh Nasin Aged 54 years, Occupation- Contractor, R/o Diversion Road. Khargone (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS

- State of M.P. through, Principal Secretary Government of M.P. Poolic Health Engineering Department. Mantralava Vallabh Bhawan Bhopai.
- Chief l'aigmeet. Public Health Engineering Department. Indore Circle Indore ...
- 3. Executive Engineer, Public Health Engineering Department Khargone.

(Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India)

- ١. Particulars of the causeforder against which the petition is made.
 - Data o<u>t ende</u>r

Jasses in case natures.

Persed by Name & designation | Indore Circle Indore. or court or Tribunal)

Chef & igineer, P.H.F. Dept.

4. Subject matter in brief.

Petitioner is a registered as A-1 Contractor Respondent invited in large by NTT for different works. Petitioner subnorted his tenders for various lube-wells | the official rates was Rs,257/- per meter.

A,

proposed executed successfully the works in respect to the project of the rate of Rs.257/- per meter. Province to by respect of work order from serial No. to see the made at the rate of Rs.257 - per meter but a flaggraph outhout any reasons the respondent more they bent to the cate of Rs.2277- per meter and Fig. 1. Rs 30 occupeter and recovery of is the long poter was made from all the bills. Petit data being aggreed submitted his protest. Recorders for payment at the rate of Rs. 257's were neede but nothing was done. Due to withholding payment at the rate of Rs.30/- he was put to huge less of Rs 5 31,1624. Therefore, petitioner filed a writ petition claiming payment at the rate of Rs. 257/- per meter and the said writ petition was disposed with the ligaritans for taking appropriate remedies. As there was an innount of contract which was less then and the civil suits. product permitter assued notice to respondents but in the mean time a letter of recovery of Ra. the second of the proposition of the second allege in the earlier writ petition and the tensors of many filed for the recovery as No. 7 1 2

A declaration that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted in any count/tribunus. If justituted, the status or result thereof, along with years of the order.

If the minimum to forces that no proceedings on the same subject matter has been previously instituted in any continuous.

K